

उत्तराखण्ड शासन  
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले अनुभाग-1  
संख्या-692 /XIX-1/18- 16 खाद्य/2018  
देहरादून : दिनांक 16 अप्रैल, 2018  
विज्ञप्ति/नियुक्ति

उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2012 के अन्तर्गत जिला पूर्ति अधिकारी के पद पर लोक सेवा आयोग उत्तराखण्ड द्वारा की गयी संस्तुति तथा कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या-34/XXX (2)/18/30 (57)/14 दिनांक-06.02.2018 के क्रम में श्री अरुण कुमार वर्मा, पुत्र श्री गजेन्द्र कुमार वर्मा, ग्राम व पोस्ट-मेहुंवाला माफी, निकट बेसिक स्कूल, चौहान गली, देहरादून को खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अन्तर्गत जिला पूर्ति अधिकारी के पद पर वेतन बैण्ड-03, वेतनमान रू0-15600-39100 ग्रेड वेतन-5400 (7वें वेतन आयोग में पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 में रू0-56100-177500/-) में निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से नियुक्त करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

- 1- प्रश्नगत सेवायें उत्तराखण्ड खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग (आपूर्ति शाख.) समूह "क" एवं "ख" सेवा नियमावली, 2017 तथा शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाने वाली सेवा शर्तों से विनियमित होगी।
- 2- श्री अरुण कुमार वर्मा, को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए परीक्षा पर रखा जायेगा।
- 3- जिला पूर्ति अधिकारी को वेतन बैण्ड-03, वेतनमान रू0-15600-39100 ग्रेड वेतन-5400 (सातवें वेतन आयोग में पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 में रू0 56100-177500/-) में तथा इसके अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते भी देय होंगे।
- 4- नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु अभ्यर्थी को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- 5- आदेश निर्गत होने की तिथि से एक माह के भीतर श्री अरुण कुमार वर्मा अपनी योगदान आख्या आयुक्त कार्यालय (मुख्यालय), खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून के समक्ष प्रस्तुत करेंगे तथा श्री वर्मा की तैनाती आदेश प्रशिक्षण कार्यक्रम के पश्चात् पृथक से निर्गत किया जायेगा। यदि उक्त अवधि तक श्री वर्मा अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत नहीं करेंगे, तो यह समझा जायेगा कि श्री वर्मा उक्त सेवा में योगदान करने के इच्छुक नहीं है एवं आपका अभ्यर्थन स्वतः ही समाप्त हो जायेगा।
- 6- अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व निम्न प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे-
  - (1) अभियोजन न चलाये जाने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में एक घोषणा पत्र।
  - (2) ओथ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।
  - (3) गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।
  - (4) चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण पत्र।
  - (5) लिखित रूप में एक अन्डरटेकिंग कि यदि चरित्र एवं पूर्ववृत्त, स्वास्थ्य परीक्षण तथा अभिलेखों के सत्यापन के पश्चात् उन्हें सरकारी सेवा के लिये उपयुक्त नहीं पाया जाता है, तो श्री वर्मा की यह नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी। जिसके लिये यह किसी क्षतिपूर्ति के हकदार नहीं होंगे।
  - (6) एक से अधिक जीवित पत्नी न होने का घोषणा पत्र।

(7) मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र।  
7- यह नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में दायर रिट पिटीशन (PIL) संख्या-67/2011, रिट याचिका संख्या-61/2016, रिट याचिका संख्या-05/2016, रिट याचिका संख्या-90/2016, रिट याचिका संख्या-438/2015, रिट याचिका संख्या-71/2014, रिट याचिका संख्या-76/2015, रिट याचिका संख्या-81/2015, रिट याचिका संख्या-95/2015, रिट याचिका संख्या-83(एस0/बी0)/2015, रिट याचिका संख्या-96(एस0/बी0)/2015, रिट याचिका संख्या-105(एस0/बी0)/2015 एवं रिट याचिका संख्या-477(एस0/बी0)/2015 तथा लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक-23.08.2017 में उल्लिखित रिट याचिकाओं तथा रिट याचिका संख्या-442/2017(एस0एस0) स्वप्निल मुयाल बनाम राज्य एवं अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी।

(आनन्द बर्द्धन)  
प्रमुख सचिव।

संख्या-692/XIX-1/18-16 खाद्य/2018 तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड, हरिद्वार।
- 3- अपर सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन को उनके पत्र संख्या-34/XXX(2)/18/30(57)/14 दिनांक-06 फरवरी, 2018 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
- 4- आयुक्त खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, देहरादून को इन निर्देशों के साथ प्रेषित कि श्री वर्मा को विभाग में योगदान दिये जाने से पूर्व उनके समस्त अभिलेखों तथा स्वास्थ्य परीक्षण सम्बन्धी प्रमाण-पत्र का सत्यापन सुनिश्चित कर लिया जाय।
- 5- जिलाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
- 6- निदेशक, उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत अभ्यर्थी को आगामी प्रशिक्षण में सम्मिलित करने का कष्ट करें।
- 7- श्री अरुण कुमार वर्मा, पुत्र श्री गजेन्द्र कुमार वर्मा, ग्राम व पोस्ट-मेहुवाला माफी, निकट बेसिड स्कूल, चौहान गली, देहरादून।
- 8- सहायक निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की को गजट के आगामी अंक में प्रकाशित किये जाने हेतु।
- 9- निदेशक एन0आई0सी0।
- 10- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,  
(एन0एस0डुंगरियाल)  
उप सचिव।